प्रसंगशः

आलोक मेहता

आदर्श भूमिका न्याय-रक्षकों की

जरूरत है अधिकतम अधिकारों, आमदनी और आदर की

प्रश्न पूछने के नाम पर हुए सांसद रिश्वत कांड में सांसदी की बर्खास्तगी के मुद्दे पर संसद तथा न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति से समाज का एक बड़ा वर्ग चिंतित है। सब जानते हैं कि तकनीकी आधार को लेकर सामने आई याचिका पर न्यायालय ने संसद से यथोचित जवाब देने के लिए नोटिस भेजा है। अन्यथा सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों की गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार पर न्यायपालिका का रुख बेहद कड़ा है एवं हाल के महीनों में उच्च न्यायालयों तथा सुप्रीम कोर्ट ने बड़े-बड़े नेताओं, अफसरों, उद्योगपतियों और कानूनविदों को अनुचित कर्मों के लिए कड़ाई से लताड़ने के साथ कठोर दंड देने वाले फैसले भी सुनाए हैं। सबसे ताजा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई.के. सभरवाल द्वारा कुछ स्थानों पर वकीलों द्वारा अपनाए गए आंदोलनकारी तरीकों के विरुद्ध कठोरतम रुख अपनाए जाने का है। सामान्यतः न्यायाधीश अदालतों के अलावा किसी सार्वजनिक स्थान पर टिप्पणियां नहीं करते। लेकिन पिछले दिनों संविधानवेत्ता तथा दिग्गज नेता डॉ. कैलाशनाथ काटजू की स्मृति में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति सभरवाल ने कानून और न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार की न केवल तीखे शब्दों में भर्त्सना की, वरन सामान्य नागरिकों से आग्रह किया कि वे ऐसे लोगों को सबक सिखाएं और जरूरत पड़े तो वकील के माध्यम से प्रस्तुत न होकर अदालत में स्वयं अपना पक्ष रखें। वे वकीलों द्वारा अनुचित ढंग से काम बंद किए जाने से क्षुब्ध रहे हैं। वहीं कुछ प्रभावशाली योग्य वकीलों द्वारा जज का पद न स्वीकारने अथवा कुछ लोगों द्वारा जज बनने के लिए की जाने वाली जोड़-तोड़ तथा सिफारिशी तरीके से भी नाराज हैं। निश्चित रूप से ऐसी बेबाक टिप्पणियां कोई अन्य नहीं कर सकता। न्यायालय की अवमानना का कवच बेहद मजबूत है। इसलिए कानून और न्याय के लिए समर्पित ईमानदार न्यायाधीश ही गंदगी दिखने पर इस कवच को काट-छांट कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व प्रधान न्यायाधीशों ने अदालत परिसरों में भ्रष्टाचार के मामलों पर गहरा रोष व्यक्त किया तथा दोषी पाए जाने वाले न्यायाधीशों को दंडित भी किया। असल में कार्यपालिका तथा समाज के अन्य क्षेत्रों में भारी भ्रष्टाचार के कारण न्यायपालिका से अपेक्षाएं बढ़ने के साथ उसका काम का बोझ बढ़ता गया है। जब अदालत में विचाराधीन मामलों की संख्या तीन करोड़ होगी और न्यायाधीशों की संख्या सीमित तथा सुविधाएं न्यूनतम, तब निचले स्तर पर अदालती व्यवस्था दयनीय हालत में दिखाई देगी। आर्थिक उदारीकरण के दौर में सत्ता-व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों अथवा निजी क्षेत्र में काम करने वाले सक्षम और सुशिक्षित लोगों के वेतन-भत्ते-सुविधाएं लाखों-करोड़ों रुपये वार्षिक हो गई हैं, जहां न्यायाधीशों तथा वैज्ञानिकों की आमदनी एवं सुविधाएं प्रशासनिक पदों की विभिन्न श्रेणियों के समकक्ष रखी गई हैं। पिछले वर्षों के दौरान की गई बढ़ोतरी भी दाल में नमक की तरह है। प्रबंधन में अच्छी शिक्षा-दीक्षा पाने वाला युवा 35 से 40 वर्ष की उम्र में डेढ़-दो करोड़ रुपये वार्षिक कमाई करने लगता है। जबकि संविधान और कानून की श्रेष्ठतम शिक्षा पाकर न्यायिक व्यवस्था से जुड़ने वाले की वार्षिक आमदनी सेवानिवृत्त होने तक उतनी नहीं हो पाती। सामान्य विधायक या सांसद तक के पास रेल-हवाई यात्राओं के लिए असीमित मुफ्त पास, शानदार बंगले, विभागों या निगमों के बहाने दो-चार सरकारी तथा ठेकेदारों की अनुकंपा से शानदार महंगी कारें एवं पांच सितारा होटलों में खातिरदारी का इंतजाम होता है। जबकि न्यायपालिका से जुड़े लोगों के यात्रा-भत्ते, सुविधाओं के मानदंड सरकारी मंत्रालयों के बड़े 'बाबू' तय करते हैं।

इस सबके बावजूद न्यायाधीश जन-अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर अपने फैसलों से सत्ता-व्यवस्था की लगाम कस रहे हैं। जनहित में न्यायाधीशों के कड़े रुख और एक सक्रिय 'अभियानकर्ता' की भूमिका से समाज का एक तत्व विचलित हो रहा है। उसे लगता है कि हर क्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होगा तो प्रशासनिक तंत्र काम कैसे करेगा। लेकिन यदि सर्वे कराया जाए तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि भारत के अधिकाधिक लोग नेताओं और अफसरों पर कठोरतम लगाम ही नहीं, चाबुक लगा सकने वाले हर अभियान को उचित मानते हैं। पिछले दिनों ऐसे ही एक अभियान की छोटी झलक नामी न्यायाधीशों तथा कानूनविदों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में देखने को मिली। एशिया पैसिफिक ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के नाम से गठित इस मंच के माध्यम से वर्तमान तथा पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने संपूर्ण समाज के लिए हितकर पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्तमान कानूनों के सही उपयोग, नई परिस्थितियों में कानूनी संशोधन तथा व्यापक जागरूकता लाने का गंभीर संकल्प व्यक्त किया। इस अभियान को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। उन्होंने पिछले वर्षों के दौरान सामाजिक सरोकार वाले कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं और हाल ही में दिल्ली में अवैध निर्माण गिराने में बड़े लोगों की संपत्ति पर पहले कार्रवाई का आदेश भी उन्हीं का है। न्यायमूर्ति जैन ने वर्षों पहले राजनीति और वकालत का मोहमाया छोड़कर न्यायपालिका का अंग बनकर ठोस काम करने का बीड़ा उठाया था। आज वही हथौड़ा कानून के क्षेत्र में युवा लोगों को प्रेरणा दे रहा है। इस संदर्भ में यह मुद्दा विचारणीय होना चाहिए कि युवा जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र में निष्ठा से काम का अनुभव तथा अच्छे वकील के रूप में भूमिका के बाद जज बनने वाले व्यक्ति अधिक व्यावहारिक और समाज का हित करने वाले होते हैं। जरूरत इस बात की है कि किताबी ज्ञान के साथ जमीनी सच्चाई को समझने वाले ईमानदार और योग्य व्यक्ति बड़ी संख्या में न्याय-व्यवस्था में सम्मिलित हों। विश्व के बड़े प्रजातांत्रिक देशों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, उपभोक्ता अधिकारों के लिए न्याय-व्यवस्था अहम भूमिका निभा रही है। प्रजातंत्र की सफलता केवल जातिगत समीकरणों से वोट बटोरने और सत्ता में रहने के लिए जोड़-तोड़ से नहीं हो सकती। असली सफलता तभी होगी, जब सामान्य नागरिक को संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ समय पर न्याय मिले। न्यायिक हस्तक्षेप के लिए भारत की बदली परिस्थितियों में कई कानूनों में आवश्यक संशोधन, न्यायिक सेवा शर्तों में व्यापक सुधार, न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ खत्म करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र नए न्यायालयों के गठन, बड़े पैमाने पर न्यायाधीशों की नियुक्तियों तथा उन्हें किसी भी तरह राजनीतिक-प्रशासनिक दबाव से मुक्त रखने के लिए प्रावधान करने होंगे। संभवतः इसके लिए आजादी की लड़ाई की तरह ही कानून से जुड़े लोगों को व्यापक अभियान चलाना होगा। जब न्यायालय को 'न्याय के मंदिर' कहा जाता है तो अदालती परिसरों का वातावरण सही अर्थों में पवित्र बनाने के लिए हर स्तर पर मरम्मत और जमा पूंजी लगाने की आवश्यकता है। ●

> जनहित में न्यायाधीशों के कड़े रुख और एक सक्रिय 'अभियानकर्ता' की भूमिका से समाज का एक तत्व विचलित हो रहा है।